न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, खीरी।

मु0अ0सं0–511/2021
धारा–153क/153ख/505(1)ख/505(2) भा0द0सं0
थाना–मोहम्मदी, जिला–लखीमपुर खीरी।

आदेश

11.07.2022

अभियुक्त मो0 जुबैर पुत्र मो0 रफीक [redacted] दिनांक 11.07.2022 समय 12:00 पी0एम0 पर न्यायालय के समक्ष जरिए वीडियो कॉन्फेन्सिंग रिमाण्ड हेतु पेश किया गया। विवेचक द्वारा अभियुक्त को 14 दिवस के न्यायिक रिमाण्ड मे दिये जाने की याचना इस आधार पर की गयी कि अभियुक्त के विरुद्ध 24 घण्टे के अन्दर तफ्तीश पूरी नहीं की जा सकती है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण हरजीत सिंह, सुरेन्द्र कुमार, कुलदीप सिंह द्वारा मौखिक आपत्ति की गयी तथा समर्थन में न्याय दृष्टान्त सत्यजीत बल्लू भाई देसाई व अन्य बनाम स्टेट ऑफ गुजरात (2014) 14 सुप्रीम कोर्ट केसेस 434 तथा मनु भाई रतिलाल पटेल जरिए उषा बेन बनाम स्टेट ऑफ गुजरात व अन्य (2013) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 314 प्रस्तुत किया गया है।

सहायक अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्त मो0 जुबैर के विरुद्ध दिनांक 18.09.2021 को अं0धारा–153ए भा0द0सं0 थाना मोहम्मदी पर पंजीकृत कराया गया है। मुकदमा पंजीकृत होने के समय से ही अभियुक्त फरार चल रहा है। वर्तमान में अभियुक्त सीतापुर जेल मे अन्य मामले मे निरुद्ध है तथा इस मामले मे न्यायालय द्वारा मो0 जुबैर के विरुद्ध धारा–267 द0प्र0सं0 का वारण्ट जारी किया गया है। अभियुक्त को रिमाण्ड हेतु वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा विवेचक द्वारा 24 घण्टे के अन्दर तफ्तीश पूरी नही कर पाने का कथन किया गया है। मामले में विवेचना अभी शेष है। अभियुक्त मो0 जुबैर के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों की तथ्यात्मक परिस्थिति इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त मो0 जुबैर पुत्र मो0 रफीक को 14 दिवस की न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त मो0 जुबैर पुत्र मो0 र[redacted]टक को आज दिनांक 11.07.2022 से 25.07.2022 तक की न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त मो0 जुबैर का धारा–167 [redacted] का वारण्ट बनाया जाये।

विवेचक को आदेशित किया जाता है कि वह वारण्ट की प्रविष्टि जिला कारागार लखीमपुर खीरी में दर्ज कराने के उपरान्त जिला कारागार सीतापुर में प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 11/07/22
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी।
11.07.2022

श्रीमान् जी
एक वारंट तथा दो तलबी आर्डर
प्राप्त किया।
(हस्ताक्षर)
11/7/2022